GOVERNMENT BILLS

The Railways (Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

महोदय, भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। पिछले चार वर्षों में रेलवे का वित्तीय कायाकल्प होने से प्रतिवर्ष निवेश की जाने वाली राशि में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है। रेलवे द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है तथा अनेक नई लाइनें एवं दोहरीकरण निर्माण की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। रेलवे द्वारा अनेक नई रोलिंग स्टॉक इकाइयां भी लगाई जा रही हैं। लेकिन मढौरा में डीजल लोको फेक्ट्री मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, राय बरेली में रेल कोच फैक्ट्री तथा नई लाइन एवं दोहरीकरण के अनेक कार्य भू-अर्जन में हो रहे विलम्ब के कारण बाधित हो रहे हैं। दीघा घाट और मुंगेर के निकट गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण कार्यों की भी बिहार सरकार द्वारा भू-अधिग्रहण कर पूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, इसीलिए महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से रेल संशोधन अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ही रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 संसद में पेश किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में भूमि का समुचित मुआवजे का भुगतान करने एवं राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का पालन करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए है।

मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक सभा द्वारा यथा पारित रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

The question was proposed.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव में बताया कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको उन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम में लागू करना है, इसलिए जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत है।

महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि रेल विभाग एक ऐसा विभाग है, मंत्री जी।

श्री उपसभापति: आप बोलिए, बोलिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी की गपशप बंद हो जाए, तो फिर मैं बोलूं।

श्री उपसभापति : मंत्री जी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ से हट जाए, तो मैं बोलूं। रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है। इंडियन रेलवे के पास करीब 4 लाख 23 हजार हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से 3 लाख 19 हजार हेक्टेयर, अर्थात् 75.2 प्रतिशत को आपने यूज किया हुआ है, Railway operation such as track and structures including colonies and stations पर और एप्रोक्सिमेटली 10.14, that is, 43,000 hectares of land is vacant and 4 per cent, that is, 2240 hectares of land is under encroachment.

महोदय, इनके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने स्थायी समिति के सामने उपस्थित होकर 2004 में कहा था कि जो वेकेंट लैंड है, वह प्राइमा-फेसी पोटेंसियल है फोर डवलमेंट। डवलपमेंट किस तरह की? किस तरह की डवलपमेंट वहां करना चाहते हैं? इस बार लालू जी ने अपने भाषण में कहा, पैराग्राफ 59 में that bulk and non-bulk goods terminal scheme और उसमें उन्होंने कहा that both categories of above terminals will primarily be developed on private alnd, however, Railways' land wherever available will be given on lease at prescribed rate under the land licensing policy though open tendering to the bidder who offers maximum freight revenue. इसी तरह से बहुत सारे विषय हैं। इन चीजों का उल्लेख उन्होंने अपने पिछले चार बजट में जो घोषणाएं की हैं, उनमें किया है, लेकिन लैंड एक्वायर नहीं हो सकी, सिर्फ शिलान्यास के पत्थर लगे। जो चीज लैंड एक्वायर करने के आड़े आ रही है, वह 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है। यह 1894 का लैंड

एक्विजिशन एक्ट जिस वक्त बना था, उस वक्त लोगों ने नहीं सोचा था कि लैंड एक्विज़िशन एक्ट की जरूरत प्रगति के लिए, ड़वलपमेंट के लिए, या इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए, या गांव बसाने के लिए, या शहर बसाने के लिए या कारखाने लगाने के लिए पड़ेगी। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीन का अधिग्रहण करने के पहले बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है कि अगर वह एग्रीकल्चर लैंड है और किसी नोन-एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज हो रही है, तो वहां जो अनाज पैदा होता है वह नहीं पैदा हो सकेगा, हमारी फूड सिक्युरिटी को भी एक खतरा पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए हमें जमीनों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भारत में जो एक लैंड एक्विज़िशन एक्ट है 1894 का, उसका संशोधन करने के लिए आपकी सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद 6 दिसंबर, 2007 को लैंड एक्विज़िशन एक्ट, 1894 को अमेंड करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक इंटरोड्यूस किया गया, जो अभी रूरल डवलपमेंट की विभागीय स्थायी समिति के पास लंबित पड़ा है। मुझे लगता है कि या तो बजट सैशन में या बजट सेशन के बाद मानसून सेशन में उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के तहत इस पर कार्रवाई होगी।

श्री लालू प्रसाद यादव: कौन सा एक्ट है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह लैंड एक्विज़िशन एक्ट, 1894 है।

श्री लालू प्रसाद यादव: कहां लम्बित है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: स्टेंडिंग कमिटी के पास लम्बित है।''मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है। "As introduced in Lok Sabha on 6th December, 2007 the Land Acquisition Amendment 2007 introduced by your own Minister, Shri Raghuvansh Prasad Singh."

श्री लालू प्रसाद: यह अलग है, यह अलग है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: नहीं, नहीं, यह तो जमीन अधिग्रहण है, अलग चीज नहीं है।

श्री लालू प्रसाद: SEZ है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: SEZ नहीं है, SEZ तो कामर्स मिनिस्ट्री के अंदर है। आपने आर्डिनेंस लाने के वक्त कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, 1956 को जो अधिकार दिया गया है, वही अधिकार मेरे को दे दिया जाए। यही कहा न। वह अधिकार क्या कहता है, वह कहना है कि "Competent Authority to have certain powers of civil court." और एक्विजिशन का जब पावर दिया, कम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेअर करने का, उसमें उसने लास्ट में लिखा, 3 (j) of "The National Highways Act, 1956 says, "Land Acquisition (1) of 1984 not to apply." आज झगड़ा तो यही पड़ा हुआ है, जब से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और जब 1894 के इस अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है तो गांव-गांव में आंदोलन हो रहे हैं। जहां पर जाकर आप जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कारखाने, सड़के या बड़े-बड़े उत्पादन करने वाले कल-कारखाने बंजर जमीन पर भी लग सकते हैं और आपकी सड़क बंजर जमीन के बीच से भी निकल सकती है, किन्तु अगर वह सिंचित भूमि है, जहां से पैदावार हो सकती है, बंजर जमीन से अनाज नहीं पैदा किया जा सकता, किन्तु जहां से अनाज पैदा किया जा सकता है उसको बंजर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, इसलिए यह अधिनियम एक्ट, 1894 बना हुआ है और सरकार ने इस पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया, कैबिनेट में आपने डिस्कस भी किया, आप ही ने आवाज उठाई कि SEZ को जबर्दस्ती किसलिए जमीन जा रही है, उस कानून में संशोधन लाया जाए। संशोधन में मांगा गया? संशोधन में आप मांग क्या रहे हैं? कहते हैं–"Often such acquisition of land leads to displacement of people."

श्री लालू प्रसाद: वह यह नहीं है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आपका बिल लैंड एक्विजिशन के लिए है या नहीं?

श्री लालू प्रसाद: है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: है न, वही तो मैं पढ़ रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद: सारी राज्य सरकारों को अधिकार है, रेलवे का सरकारी जो प्रोजेक्ट है, पहले विषय को आप समझ लीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैंने समझा है।

श्री लालू प्रसाद: आप SEZ में चले गए हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं SEZ में नहीं गया।

श्री लालू प्रसाद: राज्य सरकार समय-सीमा के अंदर, जो प्रोजेक्ट हमारा है, जो आप लोग पारित करते हैं, मांग करते हैं, राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं होने के कारण समय पर हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। तो जो देश के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, रेल लाइन है या जो फैक्ट्री है, कुछ खास, certain, सब नहीं, तो इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए अपने रेलवे इम्प्लाई को वह अधिकार देकर, नामित करके, ताकि समय-सीमा के अंदर हमको मिले। यह कोई जोर-जबर्दस्ती वाली बात नहीं है, ''-'' वाली बात नहीं है, इसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो देशभर में आप लोग और हम लोग चर्चा करते हैं, किन्तु चीज का रेट बढ़ जाता है, सामान बढ़ जाता है और समय पर काम नहीं होता है, यह वह विषय है। राज्य सरकार से लैंड लेकर रेलवे अधिकारी को हम नामित करेंगे, जो सिविल कोर्ट के जो राइट हैं, उसको सुनवाई करके समय-सीमा पर उसका डिस्पोजल कर देगा, ताकि उस को हम पूरा कर दें। वह है यह।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ठीक है। आप जो कह रहे हैं, वही है। क्योंकि आपके बिल के सैक्शन 2 में, 29(a) में आप लिखते हैं–"Section 2, 29(a) says, "Persons interested includes all persons claiming an interest compensation to be made on account acquisition of land under this Act." फिर क्या है? Land Acquisition Act क्या कहता है? वह कह रहा है, "Also, the ambit of expression 'person interested under the Act' is proposed to be expanded so as to include tribals and other traditional forest dwellers who have lost any traditional rights recognised under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006. Moreover, it is necessary.....

श्री लालू प्रसाद: आप फिर क्लीयर हो जाइए, तब आप बोलिएगा ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हम क्लीयर हैं ....(व्यवधान)....

श्री लालू प्रसाद: आप सुन तो लीजिए। यह तो राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है कि जो उनके अधिकारी, पदाधिकारी को हम पैसे देते हैं कि लैण्ड एक्वायर करके दे दीजिए। यह विषय है कि रेलवे का जो बमतजंपद प्रोजेक्ट है, जो important प्रोजेक्ट है, प्राइवेट लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लैण्ड एक्वायर करके प्राइवेट सेक्टर या किसी और लोगों को देने जा रहे हैं। यह SEZनहीं है। जो राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार कछुए की गति से चल रही है। हम उसको और तत्पर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी भी राज्य सरकार के पास रहेगा ....(व्यवधान)...।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): क्या आप राज्य सरकार की जमीन के बारे में अधिकार ले रहे हैं?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वह तो ले ही रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: राज्य सरकार की जमीन कहां ले रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: You are speaking. You can tell. आप नाम दिए हैं तो आप बताइए।

श्री लालू प्रसाद: हां, बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं?

श्रीमती वृंदा कारत: महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस समय अगर राज्य सरकार के अंतर्गत जो जमीन है और रेलवे की वह जमीन अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहती है तो क्या बगैर राज्य सरकार से पूछे आप वह जमीन ले सकते हैं? पहले वह क्लीयर कर लीजिए।

श्री लालू प्रसाद: ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। यह सारा अधिकार, जो सिस्टम में है, नियम में है, फेडरल सिस्टम में है, यह व्यवस्था है कि रेलवे या सरकारी परपज के लिए राज्य सरकार जमीन एक्वायर करके देती है।

सारे देश भर में हमको भी राज्य सरकार जमीन एक्वायर करके देती है। राज्य सरकार की जमीन नहीं ले रहे हैं, राज्य सरकार की जमीन का यहां सवाल ही नहीं है।

श्रीमती वृंदा कारत: वर्तमान में जो जमीन राज्य सरकार के अंतर्गत है, उस जमीन को सेन्ट्रल सवर्नमेंट directly नहीं ले सकती है न।

श्री लालू प्रसाद: तो कैसे लेते हैं? हम रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कैसे लेते हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वृंदा जी, यही तो गड़बड़ है।

श्री लालू प्रसाद: इसमें confusion की कहीं आवश्यकता नहीं नही है। जो उनके रेवेन्यू अधिकारी करते थे ... .(**व्यवधान**)....

श्रीमती वृंदा कारत: क्या आपने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि हमें यह जमीन चाहिए?

श्री लालू प्रसाद: हमको कानून बनाने का अधिकार है ....(**व्यवधान**)....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह देखिए, इन्हें कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए यह पूछेंगे नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: वह जमीन नहीं दे रहे हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह वह अधिकार ले रहे हैं कि खुद अधिग्रहण करेंगे, यह कैसे होगा?

श्री लालू प्रसाद: यह हमारा अधिकार है, सेन्ट्रल का purview है ....(**व्यवधान**).... । ऐसे में तो कोई काम ही नहीं होगा ....(**व्यवधान**)....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मेरा बार-बार कहना है कि अगर किसी तरह के अधिग्रहण का या किसी तरह के लैण्ड acquisition का अभी झमेला चल रहा है, 1894 का Land Acquisition Act जब तब amended version पास नहीं हो जाता है, जो आज के प्रोब्लेम को एड्रेस कर रहा है, तब तक केन्द्र की किसी भी शाखा को, चाहे वह रेल हो, चाहे हाई-वे authority हो, चाहे और कोई हो, उनको यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह जाकर अपने आप अधिग्रहण कर ले। महोदय, यह Statement of objects and reasons जो हैं, यह जो आपका Land Acquisition Amendment Bill 2007 है ....(**व्यवधान**).... ।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, आपने जो किया है ....(**व्यवधान**)... ।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मुझे पहले बोल लेने दीजिए, तब आप जवाब दीजिएगा ...(**व्यवधान**).... ।

श्री लालू प्रसाद: पहले सुन तो लीजिए। NHI को जो दिया .....(**व्यवधान**)... ।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, NHI जब दिया था, तब Land Acquisition Act पेंडिंग नहीं था, पार्लियामेंट के पास पेंडिंग है, 2007 से पेंडिंग है ....(**व्यवधान**)... ।

श्री लालू प्रसाद: There is a need to provide for land acquisition ...(*Interruptions*).... सुनना चाहिए, सुनिए ...(**व्यवधान**)... ।

श्री उपसभापति: आप सुनिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप इस पर finally answer दीजिएगा ....(**व्यवधान**)... ।

श्री लालू प्रसाद: आप confuse मत होइए ....(**व्यवधान**).....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: नहीं, नहीं, मैं confuse नहीं हूं, मैं एकदम confuse नहीं हूं ...(**व्यवधान**).... ।

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह अधिग्रहण का अधिकार जो आप हाई-वे authority के तर्ज पर कराना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वह जब था तब Land Acquisition Act पास नहीं हुआ था। जब 1956 में Authority का एक्ट पास हुआ था जब 1956 में अमेण्डमेंट हुआ था, उस वक्त न SEZ और न ही displacement थी ....**(व्यवधान)**...।

श्री लालू प्रसाद: इसमें SEZ से क्या लेना-देना है ....**(व्यवधान)**....।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मेरी बात तो सुन लीजिए। आखिर जमीन तो किसान की जाती है। किसान जमीन से उखड़ता है। उसकी फसल डूबती है ...**(व्यवधान)**...।

श्री लालू प्रसाद: तब सारा रेल लाइन बिछना बंद कर दिया जाए, प्रोजेक्ट लगाना बंद कर दिया जाए। उसमें भी जमीन किसान की ही जाती है ....**(व्यवधान)**...।

श्री उपसभापति: उनको बोलने दीजिए, बोलिए ....बोलिए।....**(व्यवधान)**...।

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): क्या रेल विभाग स्वतंत्र सरकार नहीं बन सकता? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।....**(व्यवधान)**....।

श्री रूद्रनारायण पाणि: ज़मीन का अधिग्रहण राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से होगा। ....**(व्यवधान)**....

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I will read out from the Statement of Objects and Reasons of the Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007 which is pending before the Parliament. It says, "The Land Acquisition Act, 1894 (the Act) has been an effective instrument for the acquisition of land for public purposes and also for companies. Yet, its provisions have been found to be inadequate in addressing certain issues relating to the excercise of the statutory powers of the State for involuntary acquisition of private land and property.

Often, such acquisition of land leads to displacement of people, depriving them of their livelihood and shelter, restricting access to their traditional resource base, and uprooting them from their socio-cultural environment. These have traumatic, psychological and socio-cultural consequences for the affected population, which call for protecting their rights, including those of the weaker sections of society, particularly, tribals, tenants, etc. Rehabilitation and resettlement of the persons and families affected by involuntary acquisition of private and immovable property is of paramount importance. Thus, it is necessary to extend the provisions of the extant policies or statutes for rehabilitation and resettlement of those affected by the acquisition of land under the Act.

Also, the ambit of the expression "person interested" under the Act is proposed to be expanded so as to include tribals and other traditional forest dwellers, who have lost any traditional rights recognised under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006. Moreover, it is necessary to ensure that persons having tenancy rights under the relevant State laws are included under the scope of "person interested."

Although the Land Acquisition Act for acquisition of land for public purpose, the expression "public purpose" has not been defined. Hence, the necessity of defining "public purpose," so as to restrict the scope of land acquisition under the Act to provision of land for strategic purposes vital to the State, and for infrastructure projects where the benefits accrue to the general public is essential.

The provisions of the Act are also used to acquire private lands for companies. This frequently raises a question mark on the desirability of such State intervention when land could be arranged by the company through private negotiations on a "willing-seller and willing-buyer" basis, which could be seen to be a more fair arrangement from the point of view of the land owner. In view of this, it is desirable to omit the provisions for the acquisition of land for companies under the Act. However, under certain circumstances, it may be necessary to acquire some land through statutory mechanism to the extent of a limited portion of the total area of the land required when the "person" has already purchased the rest of the land through private negotiations and the purpose is useful to the general public. Such "person" may include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not."

Sir, the point is, they have deliberated on the issue. And, it is a comprehensive Act which is pending before the Parliament. Let this Act be passed first. Let the Land Acquisition Act, 1894 be amended. For example, in Singur, why did the problem arise there? Sir, the tenants of the land; those who were the tillers, they were given land to plough the land, but, they were not allowed to get the compensation.

SHRIMATI BRINDA KARAT: What are you talking? ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let me complete. The point is, the original *patta* holders, they create problem. The tiller does not get the compensation. The same thing will happen here. Those who are tenants of the land for 50 years or 100 years are ploughing the land and the *zamindar* is staying in Bombay, Kolkata or Delhi. So, they should get compensation. That provision is coming through this Bill, Sir. This Bill is under the consideration of the Standing Committee. Let the Report come. Thereafter, the hon. Minister can come and discuss the matter. What is the hurry? There is no hurry in passing this Bill. So, my submission, Sir, is that please consider this. It should be sent to the Select Committee of Rajya Sabha which can take up this matter. Let it be discussed there. Sir, I move a Motion to send it to the Select Committee. Let there be Members from all political parties in that Committee. Don't snatch the right of the poor people who are having small land holdings through this notification. He will not get the due compensation. He will not get any employment. He has been earning his bread and butter right from his forefathers' time. He will not get anything. Where will he be resettled? As Laluji says, it looks very simple, but it will have very far-reaching consequences. Not only will it break the heart, it will also break the federal structure of our country. It will also kill those farmers who are earning their bread and butter out of it. So, this is not fair, Sir. Let the Land Acquisition Act, 1894, which is very comprehensive, be passed. Thereafter, they should bring all these things. Till that time, this matter should be referred to the Select Committee of Rajya Sabha. Let Shrimati Brinda Karat head that Committee. Thank you.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, with regard to the Railways (Amendment) Bill, 2008, I would like to express my concern and make a few points also. It is a fact that when the Railway Minister placed this Bill, he said that some important railways projects could not be completed in time; so, this type of amendment is required. Sir, my observation is that Railways is a real *zamindar*. Lakhs of hectares of land is in the hands of Railways. We have read this in the Report. Many data is also available in the speech of the Railway Ministers and different publications that a lot of unutilised railways land is existing in the country. May I know from the hon. Minister, in this perspective, what is the plan to properly utilise the railway land? We have seen in the reports that about lakhs of hectares of land were also encroached upon by different organisations, or, individuals.

What is the plan for utilising this land and making it encroachment-free? I would like to know from the hon. Minister in this perspective when the Land Acquisition Act is discussed here. Yesterday also and at some other time, the hon. Railway Minister, during his Budget Speech, said that the Railways is going in for proper use of the railway land. During his Budget speech also, he made a mention of this. In this perspective, I would like to put two, three questions. Sir, it is a fact that there is a Land Acqusition Act in our country, and it is a very old one. It was enacted in 1894. Sir, it is high time that it is made up-to-date, complete and proper in all respects. The nation is waiting for a new Land Acquisition Act. As you know, the Land Acquisition Bill has already been introduced in the Lok Sabha; and presently, it is under consideration of the Standing Committee. So, my query is this: Is the hon. Minister aware that this type of an Amendment Bill could be in contradiction with the original Bill which is presently under the consideration of the Standing Committee of the Lok Sabha and being discussed there? When we have a discussion on this Bill, we must be mindful of that also. Sir, this is one of my observations so far as this Bill is concerned.

Secondly, Sir, land is a State subject. My concern is, when there is a dispute between the Railways and the State Government, when and how would the settlement be made? This has not been defined in the Bill. So, this aspect must also be taken care of by the hon. Minister.

Now; Sir, I come to the Bill proper. I refer to clause 2 (b)(iv). It is in line 5 on page 2. It reads, "persons having tenancy rights under the relevant State laws.... ." Sir, my specific suggestion is that here, the words 'the persons working on that land as wage workers....' should be added. Perhaps, Mr. Ahluwalia has also mentioned this. Sir, I request that the interests and livelihood of those who are working as wage-workers on that particular land should also be protected.

Then, Sir, in clause 2(c) it is said, "(37A) "special railway project" means a project, notified as such by the Central Government from time to time..." My question is: here, why have you inserted the word "special"?

Then, Sir, under Chapter IVA, in clause 20A *(1),* it is said, "Where the Central Government is satisfied that for a public purpose...". Sir, the term 'public purpose' is not defined here. You have just said, "Where the Central Government is satisfied... ," Sir, who constitutes the public? Is the Central Government also not public? I am also public. I am also a sufferer. I may also be dissatisfied. So, I think, the 'public purpose' should be properly defined here.

Then, Sir, in clause 20C, in line no. 40, it is said, "...compensation shall be paid to the persons having interest in that land... " Sir, here, the words 'wage-workers and others' should also be inserted. Their interests should also be protected.

Then, Sir, in clause 20D, it is said, "any persons interested in the land may, within a period of thirty days from the date of publicationof the notification..." Sir, here I would like to say that this time period is not sufficient for a country as vast as ours. I think, it should be forty-five days and the notification should not appear only in the newspapers; it should also be there in the electronic media and radio.

Then, Sir, I come to clause 20G. It is on page 4. With your kind permission, I would like to quote clause 20G *(1)* (ii). It reads, "The average'—please mind the work 'average'— 'of the sale price for similar type of land situated in the village or vicinity, ascertained from

1.00 P.M.

not less than fifty per cent of the sale deeds registered during the preceding three years..." But, Sir, we have seen many a time that there is a difference between the actual value that the land owner gets and the value which is written in the deed. So, the problem should be ironed out properly. I think, having the criterion of 'preceding three years' will not be correct for all times. We should take the market price into consideration before judging it.

Sir, my last point is regarding rehabilitation and resettlement. The rehabilitation should be comprehensive. It should be sympathetic and it should be proper. I know in the said Bill, which I mentioned, i.e., the Land Acquisition Bill, 2007, there is a long chapter so far as the resettlement and compensation aspects are considered. A sympathetic approach has been adopted there. It should be according to that Bill.

With these words, Sir. I conclude.

श्री उपसभापति: श्री गोपाल व्यास जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, आप 5 मिनट बोलिए।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभापतिजी, परसों रेलवे बजट पर बोलते समय, जो कश्मीर और पूर्वांचल में विशेष परिस्थिति के कारण योजनाओं पर खर्च करने की बात कही गई थी, मैंने उसका समर्थन किया था। आज जब मैं यह संशोधन पढ़ रहा था-तो यह पेज संख्या-2 पर, जो स्पैशल रेलवे प्रोजेक्ट-37 (a) है, इसको पढ़ते समय मेरे मन में कुछ विचार आए हैं और अनेक सदस्यों के विचार भी सुने हैं। जैसे हमने अभी जीरो अवर में सुना था कि माँइन्स पॉलिसी को लेकर इतना सब डिस्कशन हो रहा है, लेकिन राज्यों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। जब तक इस देश में संघीय ढांचा है, तब तक हमें हर काम करते समय राज्यों को विश्वास में लेना बहुत आवश्यक है। मैं अभी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए और केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों को ठीक रखने के लिए मेरा एक विनम्र सुझाव है। जहां 37 (a) में यह लिखा है, वहां पर, ये शब्द जोड़े जाएं, "after consultation with the State Government". अभी बहुत सी बातें कही जा रही हैं, राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार वहां पर अमुक जमीन समय पर दे, प्रकाश दे और पानी इत्यादि दे। मेरा यह सुझाव है कि इस योजना को क्रियान्वित करते समय, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, केन्द्र सरकार ऐसी योजना बना सकती है, जैसी वह अभी सोच रही है और कश्मीर तथा पूर्वांचल में कुछ करने जा रही है। यह राष्ट्र की आवश्यकता है और हम इससे सहमत हैं, किंतु ऐसा करते समय राज्य सरकारों को विश्वास में लेना बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। आप यहां पर जिन बाद की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप हल हो जाएंगी। इसलिए या तो 37 (a) में ये शब्द जोड़े जाएं, "after consultation with the State Government". या मेरा एक दूसरा यह सुझाव भी है कि इसी पृष्ठ क्रमांक-2 में, चैप्टर-4 (a) में-मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सुनी जा रही है, नहीं तो...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: सुनी जा रही है, सुनी जा रही है।

श्री श्रीगोपाल व्यास: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री श्री लालू जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो राज्यों के अंदर रेल के बिछाने में आने वाली समस्या हे, इस कानून में ही थोड़े से शब्दों को जोड़ देने से इसका निदान हो सकता है। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के उदलकछार नामक स्टेशन पर गया था। यह मनेन्द्रगढ़ के पास सरगुजा में है। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि यहां पर टॉयलेट है? उसने कहा कि टॉयलेट नहीं है, तो मैंने फिर कहा कि क्यों नहीं है? उसने कहा कि बहुत दूर है, हम वहां पानी कहां से लाएंगे? मैंने फिर कहा कि स्टेशन से इतनी दूर क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि पहले तो वहां पर बनाने की योजना थी, परन्तु फिर कुछ लोगों ने प्रभाव डालकर, यह रेलवे लाइन इधर ला दी है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने कम्प्लेंट बुक में भी लिखा है कि यहां टॉयलेट क्यों नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे प्रकाश नहीं है। हम वहां अंधेरे में बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचे। महोदय, अभी अहलुवालिया जी और हमारे वहां के साथियों ने जमीन संबंधी बात कही है। हम हर बात पर राज्य पर निर्भर करते हैं। यहां अनेक विषयों पर बात कही जाती है कि यह राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र है, परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि जो ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े महत्व के हैं और जहां पर स्थान है, जहां पर रेल बिछाई जा सकती है, वहां पर वह बिछाई जानी चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि यह कार्य करते समय

आप राज्य सरकारों से उचित परामर्श कर लें तो ये सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं या तो आप 37 (a) में डालिए या यह भी हो सकता है कि 21 (a) में डालिए, मैं पूरा पढ़ता हूं। "Where the Central Government is satisfied that for a public purpose, any land is required, for execution of a special railway project, it may...", मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि उसमें क्या शब्द डालना है. "it may, after consultatio with the State Government, by notification, declare its intention to acquire such land." मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता और सहानुभूति से विचार कीजिए। आपके सामने स्थान-स्थान पर जो अनेक समस्याएं आती होंगी, उनका हल इसमें समाहित है। आपके पास ही कानून मंत्री, श्री हंसराज भारद्वाज जी बैठे हैं, वे भी इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है, उसके लिए पेनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में फेडरल सिस्टम है। कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई सरकार है। कहीं राज्य सरकार किसी पार्टी की है, कहीं किसी पार्टी की है। विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर राज्य सरकार, जो हमारे खिलाफ है, वह चाहती है कि प्रोजेक्ट को फेल करो, जमीन नहीं दो। मैं राय बरेली का उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में दो बरस हो गए हैं, वहां कोच कारखाने का शिलान्यास हुआ। मैंने वहां के मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात की। हमारे रेल अधिकारी गए। हमें नीचे उतर कर कलेक्टर से बात करनी पड़ी कि कहीं जमीन तो दीजिए, जहां किसान का कोई विरोध न हो। कहीं भी जमीन नहीं दी। जमीन के लिए रेल मंत्रालय पैसा देता है। सिस्टम में राज्य सरकार का दायित्व है कि सरकार को असिस्ट करे, समय पर जमीन अक्वायर करके दे। हम वही काम कर रहे हैं। कोलकाता, एस॰ई॰जेड॰ जैसी जो घटनाएं हुई हैं, मैं उसे दावत नहीं दे रहा हूं। यह बात चल रही है कि प्रोजेक्ट को फेल कराओ और भाषण दिए जा रहे हैं कि आपने अमुक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, कहां खड़ा है? बहुत लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, लगाते भी रहते हैं। राज्य सरकार के सभी अधिकारों को हम हड़पने नहीं जा रहे हैं। राज्य सरकार के सरकारी डिपार्टमेंट से जमीन लेकर सिस्टम से करना है। हमारे जो इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी समय सीमा में हमें काम करना है, अगर कोई राज्य सरकार कछुए की गति से चलती है तो हमारा अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। हमने यह अधिकार एन॰एच॰आई॰ में दिया भी है। जो क्वाडिलेट्रल कोरिडोर बन रहा है, हमने वह अधिकार बाई सर्टेन नोटिफिकेशन्स जिन राज्यों की सरकार-बहुत राज्यों के मुख्य मंत्री खुश हैं, सभी जगह मुख्य मंत्री बोल रहे हैं अच्छा हुआ कि आपने रेलवे अपना किया। हम उनसे असिस्टेंस लेंगे, सहायता लेंगे। लैंड उनके पास है, उनसे हमें सारा सहयोग लेना है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें उपेक्षा का सवाल भी नहीं है। इस बार हम जो लाए हैं, वह सर्वसम्मति से लोक सभा से पारित हो गया है। अफसर नामित हो गए, काम भी शुरू हो गया, लेकिन आपके द्वारा इसे कंसेंट देकर लौटाना जरूरी है। अगर हम समय-समय पर और कोई प्रोजेक्ट राज्य सरकार का लेंगे तो उसे इन्क्लुड करेंगे। जहां तक मुआवजा, पुनर्वास का सवाल है, उसमें सारी व्यवस्था की गई है कि कोई भी आदमी असंतुष्ट न हो। अगर जनता विरोध करेगी, रेल या राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा, तो यह प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? महोदय, इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जल्द ही निश्चित समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। सर्टेन इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट्स को- हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एस॰ई॰जेड॰ नहीं बना रहे हैं, इसलिए आग्रह है कि इसे पास करके यहां से लौट्य दिया जाए ताकि हमारा काम तेजी से हो सके। राज्य सरकार से तो रोज ही होगा, क्योंकि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति आएगी तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी। उसकी सहायता लेंगे, उनसे एकड़ लैंड लेंगे। सभी जगहों पर ऐसा नहीं है कि जितना राज्य सरकार का है, हमने उतना ले लिया है। जहां-जहां लोग राजनीति बिछा रहे हैं, खोचर डाल रहे हैं, उसके लिए हमने यह काम किया है। यह पारित है, दस्तख्त हो गए हैं, हर चीज हो गई है, इसलिए इसे लौटाया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2008.

The Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Food Safety and Standards Act, 2006, be taken into consideration."

Sir, this Bill has been brought forward, with a view, to consolidate the laws relating to food safety in the country. Sir, sub-section 4 of Section 5 of the Food Safety and Standards Act empowers the Central Government to appoint the Chairperson and Members, other than the ex-officio members, of the Food Authority on the recommendations of the Selection Committee. Sub-section 5 of Section 5 of the Food Safety and Standards Act prohibits holding of any other office by the Chairperson and Members of the Food Authority. This provision led to difficulties in constituting the Food Authority.

Sir, I move that the Bill may be taken into consideration.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Lalit Kishore Chaturvedi.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, खाद्य सामग्री के निर्माण और वितरण को लेकर आजादी से लेकर अभी 2006 तक आठ अलग-अलग कानून थे। वर्ष 2006 में जब खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक लाया गया, तो सरकार ने दावा किया था कि यह खाद्य सुरक्षा का बिल एक समग्र, एक comprehensive विधेयक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अगस्त 2006 को राज्य सभा में जो बहस हुई, मुझे उसका विवरण देखने का मौका मिला है, बड़ा आश्चर्य है कि 2 अगस्त, 2006 को आठ कानूनों को मिला कर एक समग्र कानून आने की चर्चा की गई थी।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

अभी डेढ़ वर्ष में स्याही भी नहीं सूखी थी कि सरकार एक नया संशोधन लेकर चली आई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, 2 अगस्त 2006 को जब विधेयक को पारित किया गया था, उस समय संसद की जो स्थाई समिति थी, उसमें जो विचार प्रकट किए गए थे, उस समय उन्हें इसमें अन्तर्निहित नहीं किया गया। उस समय उस पर स्टीम रोलर चला दिया गया था। आज फिर वही स्ट्रीम रोलर चलाने की प्रक्रिया आ गई है। अभी-अभी माननीय रेल मंत्री महोदय यहां से गए और एक